



## न्यायालय श्रीमान श्रीमान राजस्व मंडल, भोपाल म.प्र.

पुनरीक्षण क्र. ....../13

डल्लू कंस्ट्रक्शन कंपनी

बैरसिया द्वारा प्रोपराईटर

रामगोपाल गुप्ता आ. श्री छोटेलाल

गुप्ता निवासी— दाता कॉलोनी, एयरपोर्ट,

भोपाल म.प्र.

निगरानीकर्ता

विरुद्ध

म.प्र.शासन

द्वारा कलेक्टर महोदय विदिशा

जिला विदिशा म.प्र.

प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

**पुनरीक्षणकर्ता अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.दा. संहिता**

महोदय,

निगरानीकर्ता भाननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 829ए/12-13 (डल्लू कंस्ट्रक्शन कंपनी बैरसिया विरुद्ध म.प्र. शासन) में पारित आदेश दिनांक 21.09.2013 से दुश्मी व निराश होकर निम्नांकित ठोस तथ्यो व आधारो पर वर्तमान पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है:-

### प्रकरण के संक्षिप्त विवरण

1. यह कि उपखण्ड अधिकारी विदिशा के द्वारा खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 29.11.2007 के अनुसार ग्राम किरमची बघोरा में कोपरा का अवैध उत्खनन अपीलार्थी निगरानीकर्ता कंपनी द्वारा पोकलेन मशीन से किया जाना प्रमाणित होना मानकर म.प्र.भू.दा. संहिता 1959 की धारा 247(7) के अंतर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
2. यह कि माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा पारित आदेश के नियन्त्र निगरानीकर्ता द्वारा विधिवत रूप से अपील माननीय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग. 194-एक / 14

स्थान तथा  
दिनांक

कार्यताही तथा आदेश

जिला - विदिशा

पक्षकार से एवं  
अभिभाषकों आदि के  
हरताक्षर

24-6-14

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री फजल ए.के. जई, उपरिस्थित | उन्हें ग्राहयता पर सुना गया ।

2- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपर आयुक्त ने यद्यपि अपने आदेश में यह स्वीकार किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश आवेदक की अनुपस्थिति में पारित किया गया है लेकिन इसके बाद भी अपर आयुक्त ने आवेदक की अपील समय बाह्य मानते हुए अग्राहय की है । ऐसी स्थिति में जबकि अभिलेख से यह प्रमाणित था कि विचारण न्यायालय का आदेश आवेदक की अनुपस्थिति में पारित किया गया है तब आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन को सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए स्वीकार करना चाहिए था तथा प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जाना चाहिए था । अतः यह निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त का प्रश्नाधीन आदेश निरस्त किया जाता है । प्रकरण में अपर आयुक्त को निर्देश दिए जाते हैं कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को समयावधि में ग्राह्य करते हुए उसका निराकरण गुणदोष पर करें ।

3- आवेदक सूचित हों । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो ।

K  
प्रश्ना 10 सदस्य